न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 07/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— नूरमोहम्मद पुत्र श्री मांजी खॉ निवासी मोतीगढ तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थिः— श्री राधाकिशन स्वामी — अभिभाषक अपीलांट

श्री शरद ओझा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 12.12.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 14.05.2007, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 28/2002 डीएम बीकानेर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 28/2002 डीएम बीकानेर बना है, जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 170 दिनांक 13.04.07 में आवेदक के विरूद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.7.05 के द्वारा अपीलांट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतः प्रार्थी अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की अनुशंषा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने अपीलाधीन दिनांक 14.5.2007 पारित कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 28/2002 डीएम बीकानेर निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रुप से कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलांट दिनांक 21.3.2003 से पूर्व किसी आपराधिक मुकदमा में बीकानेर के केन्द्रीय कारागृह में विचाराधीन बंदी है। अपीलांट केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में बंदी होने के कारण गन लाईसेंस का नवीनीकरण करवा नहीं सकता था, अन्य कोई कारण नहीं रहा है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी गन का लाईसेंस नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.05 को प्रस्तुत कर दिया था जो बंदी के दौरान केन्द्रीय कारागृह से ही किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.5.2007 को यह कहते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया कि अपीलांट पर आपराधिक प्रवृति का मुकदमा दर्ज है, जबकि वह मुकदमा अपीलांट का लाईसेंस बनने से पूर्व का है। अपीलांट ने उक्त लाईसेंस गन का कहीं कोई दुरूपयोग नहीं किया तथा ना ही कहीं कोई फायर किया था। अपीलांट दिनांक 15.3.2003 से जे. सी. चला आ रहा है और सन् 2017 में बाहर आया जबकि लाईसेंस का नवीनीकरण 2004 में होना था। आदेश जेर अपील के बारे में अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 10.6.19 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपने लाईसेंस के बारे में पूछताछ करने पर आदेश जेर अपील की जानकारी हासिल हुई। अपीलांट ने उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो नकल बाद तैयारी दिनांक 21.6.19 को मिली। इस प्रकार अपील इल्म के दिन से अन्दर मियाद शुमार करने हेतु निवेदन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने को निवेदन किया।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री शरद ओझा ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 13.04.07 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक दर्ज है, जिसमें दिनांक 12.7.05 को अदालत के फैसला में आवेदक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में प्रथमतः अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.5.07 के विरूद्ध अपील दिनांक 10.7.19 को अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई। अपील मीमो के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में जिस मुकदमें कां हवाला दिया गया है वह उसके शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व का मुकदमा है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। ऐसी दशा में अपीलांट के पास शस्त्र रहना उचित नहीं है। हम राज्य पक्ष कीं ओर से सहायक लोक अभियोजक के कथन एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 13.4.07 में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा किये जाने से सहमत हैं। एक सजायाफ्ता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।

7. इसके अलावा अपीलांट द्वारा वरवक्त बहस हमारे समक्ष अन्य कोई नये साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। इस प्रकार हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.07 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.07 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त कर जाती है।

8. अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:07:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: